भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2498

जिसका उत्तर 05.03.2020 को दिया जाना है

नए मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन के पश्चात् दुर्घटनाएं

2498. श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नए मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन के पश्चात कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) नए मोटर वाहन अधिनियम के कार्यान्वयन के पश्चात विशेषकर पश्चिम बंगाल में सूचित यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) उक्त के परिणामस्वरूप सितंबर 2019 से 31 जनवरी, 2020 के बीच वसूले गए जुर्माने की कुल राशि कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों द्वारा टैंफिक नियमों के उल्लंघन के किसी मामले की ओर ध्यान दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या पर मंत्रालय में अभी तक डेटा प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख): मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

संसद द्वारा पारित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यातायात उल्लंघन के लिए शास्ति में संशोधन और उसकी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, नाबालिग चालक के लिए शास्ति बढ़ाना, गोल्डन आवर के दौरान नकदी रहित उपचार, वाहन की फिटनेस और चालन परीक्षा का कम्प्यूटरीकरण / स्वचालन, दोषपूर्ण वाहनों को हटाना, तीसरे पक्ष की बीमा देयता को सुगम बनाना और हिट एंड रन मामलों के लिए बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान आदि शामिल हैं। संशोधन ने सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार और जीवन की हानि को कम करने के लिए कानून को सुदृढ़ किया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में, जिले के माननीय सांसद (लोकसभा) की अध्यक्षता में "संसद सदस्यों की सड़क सुरक्षा समिति" को अधिसूचित किया है।

मंत्रालय वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए विनियम जारी करता है, ब्लैक स्पॉट्स की समस्या से निपटने के लिए स्थल विशिष्ट उपाय करता है और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सड़क सुरक्षा पर प्रचार और जागरूकता कार्यक्रमों जैसे विभिन्न कार्य-कलापों का भी आयोजन करता है।

मंत्रालय वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए विनियम जारी करता है, ब्लैक स्पॉट्स की समस्या से निपटने के लिए स्थल विशिष्ट उपाय करता है और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सड़क सुरक्षा पर प्रचार और जागरूकता कार्यक्रमों जैसे विभिन्न कार्य-कलाप भी आयोजित करता है। मंत्रालय ने सभी परिवहन वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण लगाने के बारे में अधिसूचित किया है और गुड समारिटन्स की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके अलावा,

i. केंद्रीय सहायता से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्कीम।
ii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्र की स्थापना की स्कीम।
iii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाना।
iv. सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन का अभिन्न अंग बनाया गया है।
v. राष्ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग के लिए शुरुआत को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है।
vi. मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए चिह्नित सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉटों के दोष निवारण के लिए विस्तृत प्राक्कलनों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को तकनीकी अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।
vii. दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश भी सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं।
viii. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार फाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/309/2016 / एस एंड आर दिनांकित 06-04-2017 और 01-06-2017 के परिपत्र के माध्यम से शराब की दुकानें हटाना।

(ग) से (घ): मंत्रालय यातायात नियमों के उल्लंघन और यातायात नियमों के उल्लंघन पर वसूल की गई धनराशि से संबंधित ऐसे आंकड़ों का संकलन नहीं करता है। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

*****